संख्या-39/2018/जी0आई0-24/60-3-2018

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राष्ट्रीय महिला आयोग,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 06 मार्च, 2018

विषय-मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित याचिका (सिविल) सं0-659/2007 सम्बद्ध याचिका (सिविल) संख्या-133/2012 तथा रिट याचिका (सिविल) संख्या-168/2012 के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-13(8)/2017-एन0सी0डब्लू0 (पी0पी0एम0आर0सी0), दिनांक 06.02.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित याचिका (सिविल) सं0-659/2007 सम्बद्ध याचिका (सिविल) संख्या-133/2012 तथा रिट याचिका (सिविल) संख्या-168/2012 में मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में गठित एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के संबंध में कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में सूच्य है कि श्री अभिषेक, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 07.02.2018 द्वारा प्रश्नगत वाद में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07.02.2018 के क्रम में राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष तथा सदस्यगण के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में टाईमलाइन सूचित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07.02.2018 में एग्रीड एक्शन प्लान तथा एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर विधवाओं की दशा में सुधार के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अनुपालन आख्या भारत सरकार तथा राष्ट्रीय महिला आयोग/राज्य महिला आयोग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा एग्रीड एक्शन प्लान पर अद्यतन विवरण सहित आख्या पत्र दिनांक 16.02.2018 द्वारा तथा एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर विभागीय अभिमत पत्र दिनांक 21.02.2018 द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की गई है। एग्रीड एक्शन प्लान तथा एक्सपर्ट कमेटी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रिपोर्ट पर प्रेषित उक्त विभागीय आख्या संलग्न कर उपलब्ध करायी जा रही हैं। यह भी सूचित करना है कि आयोग में रिक्त पदों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लगभग 01 माह में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी। कृपया तदनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से समन्वय कर प्रश्नगत याचिका में समयान्तर्गत प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की कार्यवाही कराये जाने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-जी0आई0-24(1)/60-3-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, महिला कल्याण निगम, उ0प्र0, लखनऊ।
4- सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- श्री अभिषेक, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।